

**CERTIFICATE PROGRAMME IN  
HUMAN RIGHTS (C. H. R.)  
Term-End Examination  
December, 2020  
CHR-012 : HUMAN RIGHTS IN INDIA**

*Time : 3 Hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** *Answer any **two** questions from Section I. Each question carries 20 marks. Answer any **four** questions from Section II. Each question carries 10 marks. Answer any **four** questions from Section III. Each question carries 5 marks.*

---

---

**Section—I**

**Note :** *Answer any **two** of the following questions in about **600** words each. Each question carries 20 marks.*

1. Explain judicial activism. How has judicial activism protected Human Rights in India ? Discuss.

2. What do you understand by sexual harassment at workplace ? Explain the duties of the employer in dealing with cases of sexual harassment.
3. Discuss the powers and functions of National Human Rights Commission.
4. “Persons with disabilities are one of the most marginalised sections of the society.” What are the factors responsible for this ? Discuss the rights available to persons with disabilities under Indian Law.

### Section—II

**Note :** *Answer any four of the following questions in about 300 words each. Each question carries 10 marks.*

5. Explain the salient features of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
6. Enumerate the fundamental duties as provided in the Constitution of India.
7. Discuss the main features of the Convention on the Rights of Child, 1989.

8. What is public interest litigation ? How far has it helped in the protection of environment ? Discuss.
9. Discuss the provisions of the constitution of India which safeguard the rights of tribal.
10. Discuss the role of NGOs in protection of child rights.

### Section—III

*Note : Write short notes on any **four** of the following questions in about **150** words each. Each question carries 5 marks.*

11. Torture as a violation of Human Rights.
12. Gender discrimination.
13. Domestic violence.
14. Salient features of Consumer Protection Act, 1986.
15. Unlawful Assembly.
16. Article 32 of the Constitution of India.

**CHR-012**

मानव अधिकारों में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम  
( सी. एच. आर. )  
सत्रांत परीक्षा  
दिसम्बर, 2020

सी.एच.आर.-012 : भारत में मानव अधिकार

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

---

**नोट :** भाग I से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं। भाग II से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं। भाग III से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

---

**भाग—I**

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो (प्रत्येक) के उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

1. न्यायिक सक्रियतावाद का वर्णन कीजिए। न्यायिक सक्रियतावाद ने भारत में कैसे मानव अधिकारों को सुरक्षित किया है ? चर्चा कीजिए।

2. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं ? यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने में नियोक्ता (employer) के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियों एवं प्रकार्यों की चर्चा कीजिए।
4. “विकलांग व्यक्ति, समाज का एक सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग है।” इसके लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं ? भारतीय कानून के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अधिकारों की चर्चा कीजिए।

### भाग—II

**नोट :** निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लगभग 300 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक हैं।

5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
6. भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
7. बाल अधिकार (1989) कन्वेंशन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

8. जनहित याचिका क्या है ? पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में यह अब तक कितनी मददगार साबित हुई है ? चर्चा कीजिए।
9. जनजातीय अधिकारों को सुरक्षा देने वाले भारतीय संविधान के प्रावधानों की चर्चा कीजिए।
10. बाल अधिकारों की सुरक्षा में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

### भाग—III

**नोट :** संक्षेप में किन्हीं चार के उत्तर लगभग 150 शब्दों (प्रत्येक) में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं।

11. यातना, मानव अधिकार के उल्लंघन के रूप में।
12. लिंग भेदभाव।
13. घरेलू हिंसा।
14. उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताएँ।
15. गैर-कानूनी सभा (जमघट)।
16. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32।